Form of Enquiry Regarding Character Certificate Tender

1. Applicant's Name MUKESH PANDEY
   S/O SRI RAMDEO PANDEY
2. Address ROAD NO-6 Qr. NO-624-B
   ASHOK NAGAR, RANCHI-834002
3. Usual place of Residence -DO- Mob. 9334463783
4. Applicant approximate Income (Income of family) where is member of joint family Rs. 8,50,000/= (APPROX)
5. i) Income Tax PAN No- AJDPP[illegible]
   ii) Sales Tax
6. Has the applicant ever been concerned any riot or Criminal cases NO
7. Mise
8. What is Applicant Character by General Reputation of from your personal knowledge. Good.
9. Recommendation at Enquiry
10. Remarks of Sub-Inspector
11. Remarks of Circle- Inspector
12. Remarks of Sr. Police Superintendent

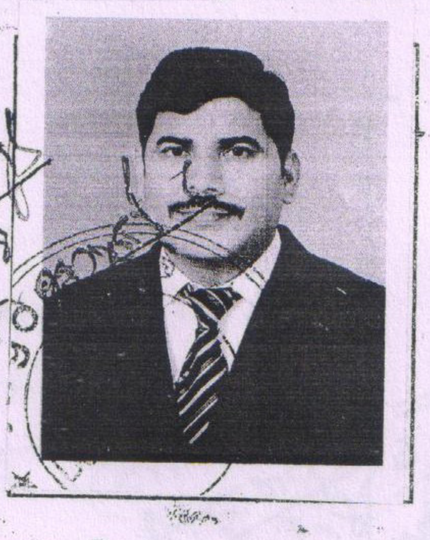

Verified
1/2/18

अंकित प्रतिवेदन के आलोक में प्रपत्रसारित
1/2
वरीय पुलिस अधीक्षक
राँची।

अग्रसारित
1/2/18
पु० नि० सह थाना प्रभारी
अरगोड़ा थाना, राँची

अंकित प्रतिवेदन के आलोक में प्रविहस्ताक्षरित
उपायुक्त, राँची।
DEPUTY COMMISSIONER
RANCHI

तामिला कर
पु० नि० सह थाना प्रभारी
अरगोड़ा थाना, राँची

319/15.02.2018

R-167/18
30/01/18

DR-393/18
01/02/18

Form of Enquiry Regarding Character Certificate Tender

1. Applicant's Name PANKAJ KUMAR
S/o SRI RANJEO PANDEY
ROAD No- 6 Qr. No. 424 'B' ASHOKNAGAR
RANCHI- 834002 (JHARKHAND)

3. Usual place of Residence -DO-

4. Applicant approximate Income (Income of family) where is member of joint family 6,50,000/= (Appox)

PAN No. BPFPK1336G

ii) Sales Tax

6. Has the applicant ever been concerned any riot or Criminal cases NO

7. Mise

Good.

9. Recommendation at Enquiry

10. Remarks of Sub-Inspector

12. Remarks of Sr. Police Superintendent

पंजी सं० 291 / दिनांक 30/1/18

थाना कार्य, अरगोड़ा

पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रेषक का चरित्र सत्यापन पृथ्वी आलोक में शीघ्र करें विहित प्रपत्र के कॉलम 1 से 11 तक को भरकर अंकित प्रतिवेदन के आलोक में अपने पु० नि० के अभिलेख में अंकित कर तथा इसकी सूचना अंचल के कार्यालय में दें।

पुलिस निरीक्षक को यह देखना है कि चरित्र सत्यापन के कॉलम - 11 में अंकित सभी बातों का उल्लेख कर लिया गया है।

सौंप दो दिनों के अन्दर अंचल के कार्यालय में अंकित कर दें।

वरीय पुलिस अधीक्षक
राँची

महाशय,
आवेदक के संबंध में पता चला है कि आवेदक का अभिलेख का अवलोकन किया। आपराधिक अभिलेख में कोई संलग्न नहीं है का विशेषसत्व पाया नहीं है।

4/2/18
S.I - Argoda PS

अग्रसारित
1/2/18
पु० नि० सह थाना प्रभारी
अरगोड़ा थाना, राँची

अंकित प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित
1/2/18
उपायुक्त, राँची
DEPUTY COMMISSIONER
RANCHI

अंकित प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित
3/1/18
पु० नि० सह थाना प्रभारी
अरगोड़ा थाना, राँची

23/11/2018

Form of Enquiry Regarding Character Certificate Tender

1 Applicant's Name MRS. JAYA PANDEY
W/O Mr. MUKESH PANDEY

2 Address - ROAD NO-6. Qr. N. 424 'B' ASHOK NAGAR
RANCHI-834002 (JHARKHAND)

3. Usual place of Residence - DO - आपका वर्तमान पता

4. Applicant approximate Income (Income of family) where is member of joint family 650,000/- (Approx)

5. i) Income Tax PAN No. CSFPP1803B

ii) Sales Tax

6. Has the applicant ever been concerned any riot or Criminal cases — NO

Misc

7. What is Applicant Character by General Reputation of from your personal knowledge. Good.

9. Recommendation at Enquiry

10. Remarks of Sub-Inspector

11. Remarks of Circle- Inspector

12. Remarks of Sr. Police Superintendent

आप सं० 290 / सं० अ०था०सा० दिनांक 30/11/18

थाना अरगोड़ा,

आपको निर्देश दिया जाता है कि वेदक का चरित्र एवं आचरण के संबंध में गोपनीय रूप से जांच कर संलग्न प्रपत्र में कंप्यूटर प्रतिवेदन अंकित करें, तदोपरान्त मुझे सं० सं० दस दिनों के अन्दर अपने पु० नि० के कार्यालय में अर्पित करें तथा इसकी सूचना अधो० के कार्या० में दें।

पुलिस निरीक्षक को निर्देश है कि स्थायी रोल के कॉलम - 11 में अपना मंतव्य अंकित कर मुझे सं० सं० रोल दो दिनों के अन्दर अधो० के कार्यालय में समर्पित करें।

वरीय पुलिस अधीक्षक
राँची

प्रदाशय
आवेदक के संबंध एवं पता पूछी है अथवा आसपास के अन्य आवेदक के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।
Nigligible
1/2/18
S.I Argora PS

अग्रसारित
30/11/18
पु० नि० सह थाना प्रभारी
अरगोड़ा थाना, राँची

अंकित प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित
30/11/18
पु० नि० सह थाना प्रभारी
अरगोड़ा थाना, राँची

अंकित प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिहस्ताक्षरित

उपायुक्त, राँची।
DEPUTY COMMISSIONER
RANCHI

318/15.02.2018

R-168/18
30/01/18

DR-395/18
01/02/18